

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(1)वित्त/राजस्व/2026 पार्ट

जयपुर, दिनांक 30.03.2026

:: आज्ञा ::

राजस्थान लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित पद का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है -

क. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	अतिरिक्त कार्यभार	वि.वि
1.	शैलेन्द्र चारण	उप निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (LFAD), उदयपुर	उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML), उदयपुर	रिक्त पद
2.	विकास कुमार सुरेला	उपकोषाधिकारी, उपकोषालय, श्रीमाधोपुर, सीकर	कोषाधिकारी, कोषालय कोटपूतली-बहरोड़	नियमित पदस्थापित अधिकारी के हचमा रीपा से एफसी पाठ्यक्रम पूर्ण करने तक
3.	मंशाराम मीणा	लेखाधिकारी, भोगीलाल पांड्या राजकीय पी0जी0 महाविद्यालय, डूंगरपुर	वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला परिषद, डूंगरपुर	नियमित पदस्थापित अधिकारी के हचमा रीपा से एफसी पाठ्यक्रम पूर्ण करने तक
4.	मितेश शाह	लेखाधिकारी, पंचायत समिति (सांगवाड़ा), डूंगरपुर	कोषाधिकारी, कोषालय, डूंगरपुर	नियमित पदस्थापित अधिकारी के हचमा रीपा से एफसी पाठ्यक्रम पूर्ण करने तक
5.	रवीन्द्र पाल विश्‍नोई	लेखाधिकारी, महात्मा गांधी एनआरईजीएस, जोधपुर	लेखाधिकारी, सीसीएफ, वन विभाग, जोधपुर	नियमित पदस्थापित अधिकारी के हचमा रीपा से एफसी पाठ्यक्रम पूर्ण करने तक
6.	भूपेन्द्र सिंह	लेखाधिकारी, पंचायत समिति खमनोर, राजसमन्द	लेखाधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, राजसमन्द	नियमित पदस्थापित अधिकारी के हचमा रीपा से एफसी पाठ्यक्रम पूर्ण करने तक
7.	विकास पारीक	लेखाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर	लेखाधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, अलवर	नियमित पदस्थापित अधिकारी के हचमा रीपा से एफसी पाठ्यक्रम पूर्ण करने तक
8.	सुनील कुमार शर्मा	लेखाधिकारी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर	लेखाधिकारी, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	विभाग द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 16.03.2026 को संशोधित करते हुए

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पवन जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
3. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
4. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
5. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
6. संबंधित अधिकारी।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव